# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | रजिस्टेशन नं0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 / 47 / 2021 | 2021 / 103 | 08 / 03 / 2021 | 10.09.2021 |

1- Reliance Asset Reconstruction Company Limited.(In its Capacity as Trustee of RARC 031 Trust) A-13/1, 6th Floor, Synergy Tower Sector-62, Noida (U.P) 201309

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1- SH. BIKRAM SINGH

2- SMT. SUMAN DEVIi

**BOTH AT:**

R/o H-109, FIRST FLOOR, APNA GHAR SHALIMAR TIJARA ROAD, ALWAR, RAJASTHAN-301001

**AND**

HOUSE NO.-34, RAJPUT KABAS, VILLAGE KHANPUR MEVAN KISHANGARH BAS, ALWAR RAJASTHAN-301405

3- M/S MAHAMAYA GLOBAL ENTERPRISES (THROUGH ITS PROPRIETOR), R/o H-109, FIRST FLOOR APNA GHAR SHALIMAR TIJARA ROAD, ALWAR, RAJASTHAN-301001

अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

## —:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 18,81,946 /—रूपये (Rupees Eighteen Lakh Eighty One Thousand Nine Hundred And Forty Six Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 06.01.2021 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज / लेट पेमेन्ट पेनेल्टी / अन्य चार्जेज) सहित कुल 34,56,504.33 /—रूपये (Rupees Thirty Four Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred Four And Paisa Thirty Three Only) है, की अदायगी नही की गई। तथा अप्रार्थी ऋणीयों / जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति All That Piece And Parcel Of Immovable Property Bearing H-109, First Floor, Apna Ghar, Shalimar Tijara Road, Alwar, Rajasthan-301001. Admeasuring 154.33 Sq.Yds. On The East: Road, On The West: Gallery 6 Feet, On The North: Stairs/Lift, On The South: Flat No. H-108, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त All That Piece And Parcel Of Immovable Property Bearing H-109, First Floor, Apna Ghar, Shalimar Tijara Road, Alwar, Rajasthan-301001. Admeasuring 154.33 Sq.Yds. On The East: Road, On The West: Gallery 6 Feet, On The North: Stairs/Lift, On

The South: Flat No. H-108. को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेशं दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर